



राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड

(भारत सरकार का उपक्रम-
मिनिरत कम्पनी)

बीज भवन, पूसा परिसर

नई दिल्ली -110 012

फैक्स- 011- 25846462

NATIONAL SEEDS CORPORATION LIMITED

(A Government of India Undertaking)

(CIN : U74899DL1963PLC003913)

BEEJ BHAWAN, PUSA COMPLEX, NEW DELHI-110 012 (INDIA)

Website: www.indiaseeds.com

CENTRAL STATE FARM - SURATGARH

District- Sriganganagar – 335804 (Raj.)

PHONES : 01509- 220084, 220309 (Office) Tele-Fax: - 01509- 223877

e-mail – csfsgmkg@gmail.com

कमांक: सीएसएफ/एसओजी/10-2/विपणन/2014-15- 570

दिनांक: 4.10.2014

अल्पकालीक निविदा

केन्द्रीय राज्य फार्म, सूरतगढ को निम्नलिखित कृषि रसायनों की आवश्यकता है ।

S. No.	Name of Agrochemicals	Unit	Qty.	Rate including All taxes
1	Melathion 50% EC	Ltr.	50	
2	Monocrotophos 36% SL	Ltr.	400	
3	Trizophos 40% EC	Ltr.	400	
4	Cartophydrochloride 4% Gr	Kg.	3000	
5	Chlorpyriphose 20% EC	Ltr.	400	
6	Bufrotengine 25% SC	Ltr.	50	
7	Thiomethaxam 25% WG	Kg.	40	
8	Fipronil 5% SC	Ltrs.	80	
9	Vitavax Power	Kg.	18	

इच्छुक निविदादाता इस हेतु निर्धारित नियमों एवं शर्तों के अनुसार अपनी दरें मय धरोहर राशी सीलबन्द लिफाफे में निदेशक, राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड, केन्द्रीय राज्य फार्म, सूरतगढ (राजस्थान)-335001 के कार्यालय में दिनांक 17.10.2014 को दोपहर के 2.30 बजे तक जमा करवा देवे अथवा निविदा बाक्स में डाल देवे। उक्त निविदा उसी दिन 3.00 बजे फार्म समिती के द्वारा उपस्थित निविदादाताओं के समक्ष खोली जायेगी ।

उपरोक्त निविदा में भाग लेने हेतु धरोहर राशि के रूप में रुपये 20000.00 का डिमाण्ड ड्राफ्ट **M/s National Seeds Corporation Ltd., payable at Suratgarh** का संलग्न करना होगा । धरोहर राशि नहीं पाये जाने पर निविदा निरस्त कर दी जायेगी ।

नोट: लिफाफे पर स्पष्ट रूप में निविदा कमांक, खोलने की तिथि तथा रसायन आपूर्ति बाबत अवश्य दर्शाये ।

नियम व शर्तें

(1) रसायन आईएसआई/ब्रांडेड मार्का का होना चाहिये। (2) दर प्रति लीटर/किलोग्राम समस्त कर सहित होनी चाहिये । (3) निविदा दरें स्वीकृत होने के उपरान्त आपूर्ति आदेश जारी किया जायेगा जिसके प्राप्त होने के तीन दिनों के अन्दर-अन्दर समस्त रसायन एक साथ, एक ही बैच के, फार्म के गोदाम पर आपूर्ति (Door Delivery) करनी होगी । (4) सप्लाई किये गये रसायन के बैच वार सैम्पल मान्यता प्राप्त प्रयोग शाला से जांच कराये जायेगे व मानक स्तर का घोषित होने के उपरान्त ही इनसे सम्बन्धित बिलों का भुगतान किया जायेगा । रसायन का नमूना लेते समय फर्म का प्रतिनिधि मौजूद रह सकता है । (5) रसायन के नमूने कि जांच का खर्च फार्म द्वारा वहन किया जायेगा । अतः एक ही बैच का रसायन उपलब्ध करवाना होगा अन्यथा अतिरिक्त बैच सम्बन्धी जांच का खर्च पार्टी को वहन करना होगा । (6) रसायन के अमानक पाये जाने पर इसकी जांच पर लगने वाला खर्च पार्टी से वसूला जायेगा और अमानक रसायन पार्टी को अपने खर्च पर वापिस उठवाना पड़ेगा । (7) रसायन की मात्रा आवश्यकता के अनुसार घटाई व बढ़ाई जा सकती है ।

व० विपणन अधिकारी
कृते निदेशक